

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठारह'

[ 27/3/2017 ]

प्रश्न सं. [ क. 6948 ]

परिशिष्ट-क

(विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-6948, द्वारा माननीय श्री दिलीप सिंह शेखावत)

क्र.	वर्ष	कारखाने का नाम	दुर्घटना का प्रकार एवं दिनांक	मृत/घायल श्रमिक का नाम एवं पता	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	प्रबंधन द्वारा प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति राशी	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
01	2008	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
02	2009	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
03	2010	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
04	2011	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
05	2012	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
06	2013	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
07	2014	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
08	2015	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
09	2016	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. केमिकल डिवीजन, बिरलाग्राम नागदा	प्राणांतक दुर्घटना दि. 17.11.2016	श्रमिक श्री हरिओम पिता श्री रामलाल निवासी मकान न. 67, 58ब्लाक, जबरन कालोनी, नागदा जिला-उज्जैन की कारखाने के यू.पी.एस रूम में अग्नि दुर्घटना के दौरान प्रणांतक दुर्घटना हुई।	कार्यालय द्वारा कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरुद्ध कार. अधि. 1948 की धारा 38, 7ए-2ए, एवं म.प्र. कार. नियमावली 1962 के नियम 73, 72, 73-ई में अभियोजन की कार्यवाही की गई है	मृतक श्रमिक ई.एस.आई में पंजीकृत है (ESIC No.- 10920374) मृतक के आश्रितों को प्रबंधन द्वारा कुल 16,78,245/- लाख (एग्जीमेंट एवं बीमा योजना के तहत) एवं एक आश्रित को स्थाई नौकरी दी गई।	प्रकरण मा. सी.जे.एम न्यायालय, उज्जैन में दिनांक 07.02.17 को दर्ज किया गया है, प्रकरण विचाराधीन है।

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
श्रम विभाग (शाखा ए)  
मंत्रालय, भोपाल

संचालक,  
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,  
मध्यप्रदेश, इंदौर